न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 96 / 2020(2020 / 00293)

1. लालाराम उम्र 65 साल पुत्र गोरधन
2. मोहनी देवी उम्र 50 साल पुत्री गोरधन
   समस्त जाति रेगर निवासीगण ग्राम उन्दरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर (रज.)

––प्रार्थिगण

बनाम

1. श्रीमति हगामी उम्र 55 साल पत्नी कामड़
2. प्रभात उम्र 35 साल पुत्र कामड़
3. बुद्धीप्रकाश उम्र 32 साल पुत्र कामड़
4. राजेन्द्र कुमार उम्र 28 साल पुत्र कामड़
   समस्त जाति रेगर निवासीगण ग्राम उन्दरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब केकड़ी जिला अजमेर (राज.)

–अप्रार्थीगण

6. श्रीमति शारदा उम्र 30 साल माता स्व. सोहनी पुत्री गोरधन पत्नी रामबाबू जाति रेगर निवासी ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. श्रीमति मौसमी उम्र 28 साल माता स्व. सोहनी पुत्री गोरधन पत्नी लेखराज जाति रेगर निवासी रेगरान मोहल्ला देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

––प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

दिनांक–8.9.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम उन्दरी तहसील केकडी जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
204–191	492	0.20 है.	चाही 1
	493	0.15 है.	चाही1
	494 / 1078	0.14 है.	बारानी 2
	कुल किता 3	कुल रकबा 0.49हैक्टर	

उक्त आराजी में प्रार्थीगण में प्रार्थीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थीगण संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण अपने हिस्से के अनुसार कब्जे काश्त में चला आ रहा है। उक्त आराजीयात सोहनी पुत्री गोरधन का 123 हिस्सा है जो फौत हो गई है इसलिए इनके वारिस प्रोफोर्मा

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 है तथा उक्त आराजी में अप्रार्थीगण बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा के कब्जे काश्त की आराजी में नष्ट भ्रष्ट कर जबरन कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं जबकि खसरा संख्या 494/1078 रकबा 0.14 है.पर जबरन प्लाट बनाकर काटना चाह रहे हैं तथा उक्त आराजी को अप्रार्थीगण दो–तीन बार नोपचौक भी करवा दी गई इसके बावजूद जबरन लड़ाई झगड़ा कर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। जबकि उक्त आराजी में अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में बाधा उत्पन्न करने का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त आराजी मे प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 प्रार्थीगण की बहिन की लड़कियां हैं जो ससुराल में रहती हैं तथा प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 के हिस्से की आराजीयात की प्रार्थीगण ही देखभाल करते हैं। तथा प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण दोनों आपसी सहमति से काश्त करते आ रहे हैं। परन्तु अप्रार्थीगण बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण के स्वामित्म व आधिपत्य की आराजीयात बाबत लड़ाई झगडा करते रहते हैं तथा सीमाज्ञान सम्बन्धित विवाद पैदा करते रहते हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें प्रार्थीगण से उक्त आराजीयात के बाबत लड़ाई झगड़ा नहीं करें न ही ऐसा कोई कार्य करें जिससे प्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त की आराजीयात से बैदखल हो प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब पेश नही किया अतः जवाब बंद किया गया। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब प्राप्त नही हुआ उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब बंद किया गया। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की आराजीयात वाके ग्राम उन्दरी तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता संख्या नया–पुराना 204–191 कें कुल किता 3, कुल रकबा 0.49हैक्टर पर प्रार्थीगण के कब्जे काष्त उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नही डाले न ही ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे प्रार्थीगण अपनी कब्जे काष्त की आराजीयात से बेदखल हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner